राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान रेजीडेन्सियल एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)

कमरा नम्बर 411, अम्बेडकर भवन सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर।

क्रमांक एफ 2 (B)(95)लेखा / राईस / बजट घोषणा / 2014 / 1821 जयपुर,दिनांक 22-03-2022

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत दिनांक 03 मार्च 2022 को बिन्दु संख्या 25 के द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं अनुदानित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों मे अध्ययरत विद्यार्थियों के साथ ही वृद्ध आश्रम, बेघर व्यक्तियों के गृह आदि में मैस भत्ते की राशि को एक समान करते हुऐ 2500/– रूपये प्रतिमाह प्रति आवासी किये जाने की घोषणा की गई है।

उक्त घोषणा पालना मे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों की मैस भत्ते की राशि रूपये 2000/– से बढ़ाकर रूपये 2500/– प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162200396 दिनांक 14.03.2022 के द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण मे जारी की जाती है।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी होंगे।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 2 (B)(95)लेखा / राईस / बजट घोषणा / 2014 / 1822 - 35 जयपुर,दिनांक 22-03-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट), वित्त विभाग (आय–व्यय अनुभाग), शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. 162200396 दिनांक 14.03.2022 के क्रम मे।
7. निजी सचिव निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
9. अतिरिक्त निदेशक (योजना) मुख्यावास।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय ....।
11. उप निदेशक / सहायक निद्रेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....।
12. उप निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश सीएमआईएस पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर ऑन लाइन करने हेतु ।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय आवासीय विद्यालय समस्त।
14. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव